

25.01.2021

पैरोकारराज उप.। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत दुरुस्ती का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना-पत्र के द्वारा तहसीलदार ने खातेदार के हिस्सा एवं खाते में दर्ज कुल रकबे में अन्तर होने के कारण खाता अपवादित/अशुद्ध को शुद्ध कराने का अनुतोष चाहा गया जो कि अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पोषणीय नहीं हैं क्योंकि इस प्रार्थना-पत्र द्वारा चाहा गया उक्त अनुतोष नियमानुसार सम्बन्धित पक्षकार द्वारा घोषणात्मक का वादपत्र पेशकर सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अतः यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलैक्टर  
हनुमानगढ़